निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 388) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx

अधिसूचना
10 फरवरी 2021

lá 5 u0fo0@xBu&25@2020&521/u0fo0,oavk0fo0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गोपालगंज जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत बरौली का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4382 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
जिला का नाम–गोपालगंज					
1	नगर परिषद् बरौली	कोई नया ग्राम सम्मिलित नहीं है	कोई ग्राम पंचायत आंशिक या पूर्ण सम्मिलित नहीं है	उत्तर–रूपनछाप–441 दक्षिण–नेउरी–260 एवं पारसा–259 पूरब–खजुरिया–401 एवं बधेजी–257 पश्चिम–देवापुर–430 एवं बभनौली–223	41877

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद् बरौली कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
vjfoUn dqekj >k]
ljdkj d la;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 388-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in